I/3286/2023

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
चमोली।

सेवा में,

मा0 एन0जी0टी0,
प्रधान पीठ नई दिल्ली।

संख्याा–3920/इक्कीस–एल0बी0सी0/202–23 दिनांक : गोपेश्वर 20 अप्रैल, 2023

विषय– मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–06/2023 प्रियांक कर्नाटक बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 21.02.2023 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा की गई संयुक्त निरीक्षण के संबंध में।

मा0 महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–06 /2023 प्रियांक कर्नाटक बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 21.02.2023 के अनुपालन में मुख्य विकास अधिकारी, चमोली की अध्यक्षता एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा द्वारा गठित संयुक्त कमेटी के सदस्यों की उपस्थिति में दिनांक 15.04.2023 को श्री बद्रीनाथ धाम का संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या मूल में संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

Signed by Dr Abhishek Tripathi
Date: 21-04-2023 19:58:39

(डा0 अभिषेक त्रिपाठी),
अपर जिलाधिकारी,
चमोली।

मा0 राष्ट्रीय सहित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या– 06/2023 प्रियांक कर्नाटक बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 21.02.2023 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या

मा0 राष्ट्रीय सहित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या– 06/2023 प्रियांक कर्नाटक बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 21.02.2023 के अनुक्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा नामित निम्न अधिकारियों की संयुक्त समिति का गठन किया गया :–

1. जिलाधिकारी, चमोली।
2. क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून।
3. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
4. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

तत्क्रम में गठित समिति एवं नामित अधिकारियों/सदस्यों द्वारा उक्त प्रकरण बद्रीनाथ में सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट की स्थापना के बावजूद अशुद्धिकृत सीवेज अलकनन्दा नदी में निस्तारित किये जाने एवं बद्रीनाथ धाम में जैविक और अजैविक ठोस अपशिष्ठ का निस्तारण/प्रसंस्करण कैसे और किस प्रकार से किया जा रहा है के सम्बन्ध में संयुक्त समिति द्वारा संयुक्त निरीक्षण दिनांक 15.04.2023 को किया गया, निरीक्षण के समय उपस्थित अधिकारियों की उपस्थिति का विववरण निम्नानुसार रहा :–

1. श्री आनन्द सिंह, परियोजना निदेशक, चमोली।
2. डा0 कृष्णेदु मंडल, वैज्ञानिक–डी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, सुभाष रोड, देहरादून।
3. श्री महेन्द्र सिंह, विशेषज्ञ, एन0एम0सी0जी0, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
4. श्री एस0एस0 चौहान, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, देहरादून।
5. इं0 एस0के0 वर्मा, परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, गोपेश्वर।
6. श्री सुनील पुरोहित, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत बद्रीनाथ।
7. इं0 अरुण गुप्ता, सहायक अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, गोपेश्वर।
8. इं0 विनय झिक्वाण, सहायक अभियन्ता, पी0आई0यू0, लो0नि0वि0, बद्रीनाथ।
9. श्री देवेन्द्र सिंह, राजस्व उप निरीक्षक, पाण्डुकेशर।

भाग–1

बद्रीनाथ धाम में जैविक और अजैविक ठोस अपशिष्ठ का निस्तारण/प्रसंस्करण कैसे और किस प्रकार से किया जा रहा है

निरीक्षण के दौरान नगर निगम, जोशीमठ एवं नगर पंचायत, बद्रीनाथ के अधिकारियों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत नगर पंचायत बदरीनाथ के द्वारा 04 वार्डों (वार्ड सं0–01– बद्रीकाश्रम, 02–नरपुरी, 03–नैगणी, 04–शेषनेत्र,) में डोर–टू–डोर कूड़ा संग्रहण का कार्य पंचायत के कूड़ा वाहनों तथा पर्यावरण मित्रों के माध्यम से किया जा रहा है। नगर क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले नॉन बायोडिग्रेडेबल तथा बायोडिग्रेडेबल कूड़े को डोर टू डोर के माध्यम से अलग–अलग लिया जा रहा है।

वर्ष 2022–23 में माहवार उत्पादित कूड़े का विवरण–

क्र0स0	माह	सूखा (मात्रा टन में)	गीला (मात्रा टन में)	कुल (मात्रा टन में)
01	मई 2022	10.60	3.87	14.47
02	जून 2022	10.20	3.63	13.83
03	जुलाई 2022	1.99	2.58	4.57
04	अगस्त 2022	1.72	2.31	4.03
05	सितम्बर 2022	3.28	4.30	7.58
06	अक्टूबर 2022	6.92	2.18	9.10
07	नवम्बर 2022	3.76	1.46	5.22
योग		38.47 टन	20.33 टन	58.80 टन

शीतकाल (माह नवम्बर 2022 से माह अप्रैल 2023) तक श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बन्द होने के कारण बद्रीनाथ नगर पंचायत में मानवीय प्रवास के कारण ठोस अपशिष्ट प्राप्त नहीं हो रहा है।

निरीक्षण के दौरान यह अवगत कराया गया है कि जैविक अवशेष को जैव समग्र करके खाद में परिवर्तित करते है एवं अजैविक अवशेषों को संकुचित करके तृतीय पक्ष विक्रेता (के0के0 ट्रेडर्स) द्वारा निस्तारित किया जाता है। नगर पंचायत बद्रीनाथ द्वारा नगर क्षेत्रान्तर्गत घरों/प्रतिष्ठानों से डोर टू डोर के माध्यम से प्रयोक्ता शुल्क/यूजर चार्जेज के रूप में वर्तमान वर्ष 2022–23 में रू0 365260.00 (तीन लाख पैसठ हजार दो सौ साठ रू0 मात्र) की आय अर्जित की गई है।

निरीक्षण के दौरान नगर निगम, जोशीमठ एवं नगर पंचायत, बद्रीनाथ के अधिकारियों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि नगर पंचायत बद्रीनाथ द्वारा नगर क्षेत्र में डोर–टू–डोर कूड़ा एकत्र कर कूड़ा वाहनों तथा पर्यावरण मित्रों के माध्यम से उठाये गये कूड़े को एकत्र कर हाथ गाड़ी तथा कट्टों के माध्यम से कूड़ा वाहन में डालकर कंचन गंगा के निकट नगर पंचायत के ट्रेंचिंग ग्राउण्ड में ले जाकर गीले कूड़े

को कम्पोस्ट पिटों के माध्यम से कम्पोस्टिंग की जाती है तथा सूखे कूड़े को कॉम्पैक्टर के माध्यम से कॉम्पैक्ट किया जा रहा है। वर्ष 2022–23 में कुल 36.80 टन सूखे कूड़े का कम्पैक्टर के माध्यम से कॉम्पैक्टिंग एवं 20.33 टन गीले कूड़े का कम्पोस्ट पिटों के माध्यम से कम्पोस्टिंग की गई। शेष 1.67 टन सूखा कूड़ा बर्फ के कारण नवम्बर 2023 में कम्पैक्ट नहीं हो पाया था, जिससे वर्तमान में कम्पैक्ट किया जा रहा है।

नगर पंचायत बद्रीनाथ द्वारा नगर क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न कूड़े से सूखे कूड़े को अलग–अलग कॉम्पैक्ट कर पुर्नचक्रण हेतु विक्रय किया जा रहा है। नगर पंचायत बद्रीनाथ द्वारा वर्ष 2022–23 में कुल 36.80 टन सूखे कूड़े को कॉम्पैक्ट कर विक्रय किया गया। जिससे नगर पंचायत को 329600.00 (तीन लाख उनतीस हजार छः सौ रू0 मात्र) की आय अर्जित हुई तथा गीले कूड़े की कम्पोस्ट पिटों के माध्यम से की जा रही है तथा इससे प्राप्त होने वाले कम्पोस्ट का उपयोग नगर पंचायत के पार्कों एवं वन विभाग की नर्सरी में किया जा रहा है।

नगर पंचायत बद्रीनाथ द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में Anti Littering – Anti Spitting act 2016 तथा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन के तहत निम्नानुसार अर्थदण्ड भी वसूला गया है।

क्र0सं0	Anti Littering – Anti Spitting act 2016		प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन के तहत	
	चालानों की संख्या	वसूला गया जुर्माना	चालानों की संख्या	वसूला गया जुर्माना
01	80	35400.00	08	8800.00

उपरोक्तानुसार नगर पंचायत बद्रीनाथ से जनित ठोस अपशिष्ट का नगर पंचायत द्वारा एकत्रण, पृथ्थकीरण कर कंचनगंगा के निकट नगर पंचायत के ठोस अपशिष्ट निस्तारण स्थल में जैविक ठोस अपशिष्ट को कम्पोस्ड पिटस् के माध्यम से कम्पोस्टिंग की जा रही है एवं अजैविक ठोस अपशिष्ट का निस्तारण जैसे–प्लास्टिक आदि को कॉम्पेक्टर के माध्यम से कॉम्पेक्ट कर परिसर में भण्डारण करते हुए अधिकृत रिसाइकलर के माध्यम से निस्तारित किया जा रहा है।

भाग–2

<u>बद्रीनाथ में सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट की स्थापना के बावजूद अशुद्धिकृत सीवेज अलकनन्दा नदी में निस्तारित किये जाने के संबंध में ।</u>

श्री बद्रीनाथ धाम के अन्तर्गत सीवर के शोधन हेतु निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, गोपेश्वर द्वारा किये गयें कार्यो का विवरण निम्नानुसार है :–

1 (अ) बद्रीनाथ (इंटरसेप्सन एण्ड डाइवर्जन योजना)

स्वीकृति वर्ष – 10/2008

शासनादेश सं0 – J-12013/4/97 NCRD-II date 16.10.08

योजना अवधि	—	36 माह
स्वीकृत लागत	—	रू0 725.87 लाख
अवमुक्त राशि	—	रू0 725.87 लाख
व्यय	—	रू0 725.87 लाख,
निर्माण कार्य	—	एस0टी0पी0 (0.26 एम0एल0डी0) — 1 नग
	—	सीवर लाईन (150–300मिमी) — 5115 मीटर
	—	राइजिंग मेन — 450 मीटर
	—	पंपिंग स्टेशन — 1 नग
	—	नाला टैपिंग — 4 नग
	—	गली पिट — 3 नग
कार्य पूर्ण का वर्ष	—	मार्च 2017

1 (ब) बद्रीनाथ आई0 एण्ड डी0 विद् एस0टी0पी0 –

स्वीकृति वर्ष	—	2017
शासनादेश सं0	—	T-03/2016-17 / 453/NMCG, Dt. 29-03-2017
स्वीकृत लागत	—	रू0 1818.00 लाख (सिविल कार्य की लागत रू0 934.73 लाख एवं ओ0एण्ड एम0 रू0 883.27 लाख)
निर्माण कार्य	—	एस0टी0पी0 — 2 नग (1.00 एम0एल0डी0 एवं 0.01 एम0एल0डी0
		कैरियर लाईन — 240 मी0
		नाला डाईवजन — 1 नग
		लघु पंपिंग स्टेशन — 2 नग
		राईजिंग मेन (80 मिमी) — 186 मी0
कार्य पूर्ण का वर्ष	—	नवम्बर 2020

उपरोक्त दोनों योजनाओं के तीनों एस0टी0पी0 का संचालन अक्टूबर 2021 से उत्तराखण्ड जल संस्थान गोपेश्वर द्वारा किया जा रहा है। जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट अक्टूबर 2021 से मई 2022 तक बंद होने के कारण पर्यटन भी बंद था तथा इस दौरान एस0टी0पी0 प्रयोग में नहीं था।

निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि श्री बद्रीनाथ धाम में तीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थापित है जिनकी क्षमता 10.00 के0एल0डी0 , 0.26 एम0एल0डी0 एवं 1.00 एम0एल0डी0 है। श्री बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के अन्तर्गत निर्माण कार्य किया जा रहा हैं, जिनको पूर्ण किये जाने की प्रस्तावित तिथि अक्टूबर 2023 है, जिसके कार्यों के कारण बद्रीनाथ धाम में बिछाई गई सीवर लाईन प्रभावित हुई हैं। जिससे कोई भी एस0टी0पी0 तक वर्तमान में सीवर नहीं पहुँच रहा है।

मास्टर प्लान के अन्तर्गत बद्रीनाथ धाम के मन्दिर परिसर के चारों तरफ 75 मीटर तक पूरे निर्माण कार्य हटा दिये गये हैं। संबंधित क्षेत्र को आवास विहीन कर दिया गया है। जिसके क्रम में उक्त क्षेत्र में स्थित शौचालय को भी ध्वस्त कर दिया गया है। मन्दिर परिसर के चारों तरफ साफ सफाई का कार्य गतिमान है। इस क्षेत्र में 10.00 के0एल0डी0 का एस0टी0पी0 संचालित किया जा रहा था। जिसको वर्तमान में यथावत रखा गया है, परन्तु वर्तमान में उक्त एस0टी0पी0 पर सीवर नहीं पहुँच रहा है।

पी0आई0यू0, लो0नि0वि0, बद्रीनाथ द्वारा अवगत कराया गया है, कि मास्टर प्लान के अनुसार उक्त एस0टी0पी0 पर मन्दिर समिति व रावल के आवास का सीवर जोड़ा जायेगा।

द्वितीय एस0टी0पी0 जिसकी क्षमता 0.26 एम0एल0डी0 है, जो कि बामणी गांव में स्थित है। यह एस0टी0पी0 बद्रीनाथ मंदिर के पश्चिम दिशा में स्थित है जोकि गांव एवं बाजार को कवर करता है। मास्टर प्लान के कार्यों के कारण कुछ सीवर लाईन क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जिन्हें पी0आई0यू0, लो0नि0वि0, बद्रीनाथ द्वारा यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व मरम्मत कर चालू स्थिति में लाना अतिआवश्यक है। जबकि निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि बाजार बंद होने के कारण एवं गांव के लोगों के प्रवास के कारण कोई भी सीवर उत्पादित नहीं हो रहा था एवं बद्रीनाथ मंदिर शीतकाल के दौरान बंद रहता है और उस दौरान कोई भी पर्यटक बद्रीनाथ मंदिर नहीं आता है। इसलिए कोई सीवेज उत्पन्न नहीं होता है। निरीक्षण के दिन बद्रीनाथ धाम बंद रहा और बदरीनाथ धाम में कोई पर्यटक नजर नहीं आया। जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि 27 अप्रैल से मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा और बदरीनाथ धाम में पर्यटन वर्ष 2023 से शुरू हो जाएगा। यानी इसी तारीख से सीवेज बनना शुरू हो जाएगा जो 0.26 एम0एल0डी0 मे जाता है । हालांकि , मास्टर प्लान के कार्य के दौरान यह क्षतिग्रस्त हो चुका है।

उक्त के अतिरिक्त 1.00 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 जो कि झुला पूल के समीप एवं अलकनंदा नदी के बाएं किनारे पर स्थित अधिकांश होटल, सार्वजनिक शौचालय एवं बाजार निर्माण कार्य के दौरान उत्सर्जित मलवे के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। मास्टर प्लान के दौरान भारी मशीनों का प्रयोग होने के कारण एस0टी0पी0 का इनलैट चैम्बर क्षतिग्रस्त हो गया है। जिसके मरम्मत हेतु एस0टी0पी0 संचालक (मै0 आस्था इन्वायसे इंजी0प्रा0लि0, 543 Y, पेस सिटी II, सैक्टर–37, गुडगॉव, हरियाणा) को निर्देशित किया गया। इस एस0टी0पी0 परिसर पर बद्रीनाथ धाम के अन्तर्गत समस्त एस0टी0पी0 के नमूनों के परिक्षण हेतु एक टैस्टिंग लैब स्थित है। जिसके अन्तर्गत समय समय पर सीवेज नमूनों की जॉच (पी0एच0, बी0ओ0डी0, सी0ओ0डी0, टी0एस0एस0, डी0ओ0, एवं एम0एल0एस0एस0 आदि) की जाती है। एस0टी0पी0 को गंग तरंग पोर्टल से भी जोंडा गया है।

सुझाव/ निष्कर्स :–

नगर पचायत द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि पंचायत क्षेत्रान्तर्गत जनित ठोस अपशिष्ट के निस्तारण स्थल के चारों तरफ चारदीवारी का निर्माण किया जाये, जिससे किसी भी प्रकार का अपशिष्ट अलकनंदा नदी में न जाने पाये।

उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा बद्रीनाथ धाम में 03 घरेलू उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किये गये हैं, जो कि निरीक्षण के समय तीनों घरेलू उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र संचालन में नहीं थे। बद्रीनाथ धाम में वर्तमान में मास्टर प्लान के अन्तर्गत निर्माण कार्य गतिमान हैं एवं निमार्णदायी संस्था पी0आई0यू0 लो0नि0वि0 द्वारा उक्त कार्य किये जा रहे हैं। निर्माण कार्य के दौरान सीवर लाइन कई

स्थानों पर क्षतिग्रस्त पायी गयी, जिसकी मरम्मत आदि का कार्य निर्माणदायी संस्था द्वारा यात्रा संचालन से पूर्व पूर्ण किया जाना होगा।

शुद्धिकृत उत्प्रवाह को पुनः प्रयोग में लाये जाने हेतु उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा पम्पिंग स्टेशन का निर्माण कर पाईपलाइन के माध्यम से होटल आदि में फ्लेशिंग, गार्डनिंग आदि में प्रयोग किया जाये।

आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

एस0एस0 चौहान,
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण
बोर्ड,
देहरादून।

श्री महेन्द्र सिंह,
विशेषज्ञ, एन0एम0सी0जी0,
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन,
नई दिल्ली।

डा0 कृष्णेदु मंडल,
वैज्ञानिक–डी
पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत
क्षेत्रीय कार्यालय, सुभाष रोड़,
देहरादून।

(डा0 ललित नारायण मिश्र)
मुख्य विकास अधिकारी
चमोली